



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 30 जून, 2021

आषाढ 9, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-5

संख्या 1361/पाँच-5-2021

लखनऊ, 30 जून, 2021

अधिसूचना

प0आ0-148

महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (नवम् संशोधन) विनियमावली, 2021

1-यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (नवम् संशोधन) विनियमावली, संक्षिप्त नाम 2021 कही जाएगी।

2-उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 17 का विद्यमान विनियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:- संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 30 जून, 2021 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिए

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 30 सितम्बर, 2021 तक या जब तक अग्रतर आदेश

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम
जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए
विधिमान्य रहेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम
नहीं दिए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए
विधिमान्य रहेगी।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1361/V-5-2021, dated June 30, 2021 :

No. 1361/V-5-2021

Dated Lucknow, June 30, 2021

IN exercise of the powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897), the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations, 2020.

THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID-19 (NINTH AMENDMENT)
REGULATIONS, 2021

Short title 1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 (Ninth Amendment) Regulations, 2021.

Amendment of regulation 17 2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations, 2020, for existing regulation 17 set out in column-1 below, the regulation as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1*Existing regulation*

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 30th June, 2021 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.

COLUMN-2*Regulation as hereby substituted*

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 30th September, 2021 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.

By order,
AMIT MOHAN PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 101 राजपत्र-(101)-2021-(190)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० चिकित्सा-2021-(191)-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।